3844
17/7/17

प्रेषक,

मोनिका एस0 गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

रजिस्ट्रार / निरीक्षक,
उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद,
जवाहर भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 31 जुलाई, 2017

विषयः मदरसा पोर्टल के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मदरसों के उन्नयन, पारदर्शिता, प्रक्रियाओं के सरलीकरण तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से मदरसा शिक्षा परिषद का वेबपोर्टल बनाया जाय।

2– पोर्टल पर मान्यता प्राप्त / सहायता प्राप्त हर मदरसे द्वारा अपनी समस्त सूचनायें आन–लाइन अपलोड की जाएंगी।मदरसा प्रबन्धतंत्र को अपने सभी शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का विवरण आधार डिटेल के साथ भरना होगा। इसके अतिरिक्त मदरसा का भवन सम्बन्धी विवरण, कक्षों की माप आदि का विवरण देना होगा। पोर्टल में मदरसों को UDISE Code अंकित करना , जिससे कि मदरसे की geo-tagging सम्भव हो सकेंगी। हर मदरसे में अध्ययनरत छात्रों का विवरण भी अपलोड किया जाएगा।

3– साफ्टवेयर के माध्यम से टीचर्स / स्टाफ की डुप्लीकेसी चेक की जाए कि अलग–अलग मदरसों में एक ही स्टाफ कार्यरत न हो। इसके फलस्वरूप निर्धारित मानकों के अनुसार मदरसों में टीचर्स की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी, जिससे शिक्षा गुणवत्ता में सुधार होगा।

4– कालान्तर में इसे छात्रवृत्ति पोर्टल से जोड़कर छात्रों की डुप्लीकेसी भी चेक की जाए। इससे फर्जी छात्र दिखाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा और सरकारी योजनाओं का लाभ अधिकाधिक लक्षित समूह को मिल

............2

Scanned by CamScanner

पाएगा। किसी मदरसे द्वारा फर्जी रूप से छात्र दिखाकर उन्हें डिग्री एवं जन्मतिथि प्रमाण–पत्र बांटने की प्रवृत्ति पर भी अंकुश लगेगा।

5– माह नवम्बर 2017 से जिले स्तर पर हर मदरसा भुगतान हेतु अपना बिल आन–लाइन प्रस्तुत करेगा और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी प्रत्येक माह मदरसों के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को अनुदान का भुगतान आन–लाइन करेंगे। मदरसे के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का विवरण प्राप्त करने के उपरान्त खातों का सत्यापन PFMS सर्वर से कराये जाने के उपरान्त उन्हें हर माह भुगतान किया जाये।

6– वर्ष 2018 की उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की परीक्षा इसी पोर्टल के माध्यम से सम्पन्न करायी जाए।

7– इस पोर्टल से मदरसा शिक्षा प्रणाली में उत्तरदायित्व निर्धारण होगा एवं पारदर्शिता आएगी। यह आन–लाइन पोर्टल प्रदेश के समस्त मदरसों को एक unified eco-system से जोड़ने का प्रयास है। मदरसा पोर्टल अगले 15 दिन में क्रियाशील कर लिया जाए। मदरसों को अपनी सूचनाएं अपलोड करने के लिए 15 अक्टूबर, 2017 तक का समय दिया जाए ताकि माह नवम्बर से अनुदान भुगतान उपरोक्तानुसार आन–लाइन सम्भव हो सके।

भवदीय,

(मोनिका एस0 गर्ग)
प्रमुख सचिव

सं0 1298 (1)/52–3–2017–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2– श्री सौरभ गुप्ता, राज्य सूचना विज्ञान अधि0,एन.आई.सी ,लखनऊ।

आज्ञा से,

(मोनिका एस0 गर्ग)
प्रमुख सचिव

Muhiuddin .G.O.

Scanned by CamScanner

उत्तर प्रदेश शासन
अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग–3
संख्या–1937 / 52–3–2013–2(170) / 98
लखनऊ : दिनांक : 07 नवम्बर, 2013

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम, 2004 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–29 सन् 2004) की धारा–3 की उपधारा (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल प्रोफेसर श्री काजी जैनुल साजदीन, 22–मुफ्तीबाढ़ा, मेरठ जो प्रख्यात मुस्लिम शिक्षाविद् हैं, को उक्त अधिनियम की धारा–3 (3) की उपधारा (क) के अधीन लखनऊ में स्थापित उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में नाम निर्दिष्ट करते हैं।

देवेश चतुर्वेदी
सचिव।

सं01937(1) / 52–3–13–तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
2– प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3– समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4– समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5– निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6– रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद, लखनऊ।
7– समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8– प्रोफेसर श्री काजी जैनुल साजदीन, 22–मुफ्तीबाढ़ा, मेरठ।
9– संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को दिनॉक 07 नवम्बर, 2013 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग–4 खण्ड–ख में प्रकाशित कराने का कष्ट करें और मुद्रित अधिसूचना की 300 प्रतियॉ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10– निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश पाण्डेय)
उप सचिव।

Scanned by CamScanner

उत्तर प्रदेश शासन
अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग–3
संख्या–2667/52–3–2014–2(170)/98
लखनऊ : दिनांक : 2 दिसम्बर, 2014

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम, 2004 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–29, सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन दिनांक 14 दिसम्बर, 2007 को लखनऊ में स्थापित उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट करते हैं:–

क	श्री हाजी इरफान सोलंकी, सदस्य, विधान सभा 178 डी डिफेंस कालोनी, जाजमऊ, कानपुर नगर।	सदस्य धारा–3(3)(घ) के अधीन
ख	श्री बुक्कल नवाब, सदस्य, विधान परिषद, 467/75/ए, हुसेनाबाद, पो0–चौक, लखनऊ।	सदस्य धारा–3(3)(ड़) के अधीन
ग	श्री गुलाम शब्बीर फरीदी, प्रधानाचार्य, मदरसा गौसिया जनुवान, उसरैला, जनपद बलिया, उत्तर प्रदेश।	सदस्य धारा–3(3)(छ) के अधीन
घ	श्री मौलाना सैय्यद जिल्ले मुजतबा आबदी, मदरसा आलिया जफरिया, मोहल्ला अलीनगर, नौगांव सदत, जिला अमरोहा, उत्तर प्रदेश।	सदस्य धारा–3(3)(ज) के अधीन
ड.	(1) श्री मौलाना खलील अतहर अशरफी, पुत्र स्व0 श्री हाजी गालिब अली खां, घेर मर्दान खां, जनपद रामपुर, उत्तर प्रदेश।	सदस्य धारा–3(3)(झ) के अधीन
च	(2) श्री मोहम्मद अनवार आलम, पुत्र श्री अब्दुल हक, उप प्रधानाचार्य मदरसा फलहुल मुस्लिमीन अमीन नगर, पो0–तेन्दुआ, जनपद अमेठी, उत्तर प्रदेश।	सदस्य धारा–3(3)(झ) के अधीन
छ	श्री मोहम्मद अतहर अब्बास काजमी, प्रवक्ता अरबी, मनसबिया अरेबिक कालेज, जनपद मेरठ, उत्तर प्रदेश।	सदस्य धारा–3(3)(ञ) के अधीन
ज	प्रोफेसर (डा0) सैय्यद नूरूस्सलाम, एसोसिएट प्रोफेसर, मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, रामपुर।	सदस्य धारा–3(3)(ट) के अधीन

श्रीप्रकाश सिंह
सचिव।

Scanned by CamScanner

उत्तर प्रदेश शासन
अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग–3
सं0 05/52–3–2016–रिट(23)/13
लखनऊ : दिनांक : 01 जनवरी, 2016

कार्यालय–ज्ञाप

अधिसूचना सं0–2666/52–3–2013–2(170)/98, दिनांक 02.12.2014 द्वारा प्रो0 श्री काजी जैनुल साजदीन (प्रो0 श्री क़ाजी जैनुस्साजिदीन सिद्दीकी) को अध्यक्ष, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, लखनऊ के रूप में नामित किया गया था। उनके कार्यकाल में अरबी फारसी परीक्षा 2015 में बरती गयी अनियमितता एवं लापरवाही के संबंध में श्री सिद्दीकी से उ0प्र0 मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 की धारा–4 में निहित व्यवस्थानुसार शासन के कार्यालय–ज्ञाप सं0–2255/52–3–2015–2(170)/98, दिनांक 18.09.2015 द्वारा स्पष्टीकरण भी मांगा गया।

2– श्री सिद्दीकी ने पत्रांक–53/कैम्प का0/2015, दिनांक 20.10.2015 द्वारा अपना स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया गया है।

3– अध्यक्ष द्वारा अपने स्पष्टीकरण में मा0 मंत्री जी की अध्यक्षता में हुयी बैठक में लिये गये निर्णय एवं स्टाफ की कमी आदि के बिन्दु उठाये गये हैं, जो प्रश्नगत विषय से अतिरिक्त है। यदि परीक्षा व्यवस्था संचालन में कोई समस्या थी तो उन्हें पूर्व में ही उन्हें शासन के संज्ञान में लाना चाहिए था। इस प्रकार की कोई कार्यवाही अध्यक्ष द्वारा नहीं की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि मदरसों को मान्यता देने संबंधी कई वर्षों की लगभग 500 पत्रावलियॉ रखी है, जिससे दायित्वों का निर्वाहन न कर पाना प्रलक्षित पाया गया है। अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यों एवं दायित्वों का निर्वाहन नहीं किया गया जिससे मदरसों एवं मदरसा बोर्ड को अत्याधिक नुकसान हो रहा है।

4– उपरोक्त सम्पूर्ण स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये अध्यक्ष के रूप में प्रो0 श्री काज़ी जैनुस्साजिदीन सिददीकी प्रभावी रूप से अध्यक्ष पद के कार्य का निर्वाहन करने में असफल रहे। उनके द्वारा अपने पद का दुरूपयोग किया गया तथा अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गयी। इस प्रकार उनके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण/आख्या उपयुक्त एवं संतोषजनक नहीं है। अतः राज्यपाल महोदय उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम–2004 की धारा–4 के अन्तर्गत प्रो0 श्री काज़ी जैनुस्साजिदीन सिददीकी को अध्यक्ष, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद के लिये उपयुक्त न पाते हुये उन्हें उक्त पद से तत्काल प्रभाव से हटाये जाने का आदेश प्रदान करते हैं।

5– प्रो0 श्री काजी जैनुस्साजिदीन सिद्दीकी के अध्यक्ष, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद के पद से हटाने के फलस्वरूप रिक्त हुये अध्यक्ष उ0प्र0 मदरसा शिक्षा

Scanned by CamScanner

परिषद के पद का अतिरिक्त कार्यभार श्री फैजुर्रहमान निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उ0प्र0 को सौंपा जाता है।

6— श्री फैजुर्रहमान, निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ0प्र0 को अध्यक्ष उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद के पद के कार्य निष्पादन के लिए कोई अतिरिक्त वेतन भत्ता देय नही होगा।

श्रीप्रकाश सिंह
सचिव

संo— 05(1)/52—3—16—तद्‌दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
2— प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश।
3— समस्त सचिव/प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन।
4— समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
5— निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0 लखनऊ।
6— रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, लखनऊ।
7— समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8— प्रोफेसर श्री काजी जैनुस्साजिदीन सिद्दीकी, 22 मुफ्तीबाढ़ा, मेरठ।
9— निजी सचिव, मा0 मंत्री जी अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज विभाग को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

आज्ञा से,

(राम नगीना मौर्य)
उप सचिव।

M.ddin.

Scanned by CamScanner

सं0-2667(1)/52-3-14 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0 लखनऊ।
6. रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद लखनऊ।
7. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।
8. श्री हाजी इरफान सोलंकी, सदस्य, विधान सभा 178 डी डिफेंस कालोनी, जाजमऊ, कानपुर नगर।
9. श्री बुक्कल नवाब, सदस्य, विधान परिषद, 467/75/ए, हुसेनाबाद, पो0-चौक, लखनऊ।
10. श्री गुलाम शब्बीर फरीदी, प्रधानाचार्य, मदरसा गौसिया जनुवान, उसरैला, जनपद बलिया, उ0प्र0।
11. मौलाना सैय्यद जिल्ले मुजतबा आबदी, मदरसा आलिया जफरिया, मोहल्ला अलीनगर, नौगांव सदत, जिला अमरोहा, उ0प्र0।
12. मौलाना खलील अतहर अशरफी, पुत्र स्व0 श्री हाजी गालिब अली खां, घेर मर्दान खां, जनपद रामपुर, उ0प्र0।
13. मोहम्मद अनवार आलम, पुत्र श्री अब्दुल हक, उप प्रधानाचार्य मदरसा फलहुल मुस्लिमीन अमीन नगर, पो0-तेन्दुआ, जनपद अमेठी, उ0प्र0।
14. मोहम्मद अतहर अब्बास काजमी, प्रवक्ता अरबी, मनसबिया अरेबिक कालेज, जनपद मेरठ, उ0प्र0।
15. प्रोफेसर (डा0) सैय्यद नूरूस्सलाम, एसोसिएट प्रोफेसर, मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, रामपुर।
16. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को दिनांक   दिसम्बर, 2014 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-4 खण्ड ख में प्रकाशित कराने का कष्ट करें और मुद्रित अधिसूचना की 300 प्रतियां इस अनुभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
17. निजी सचिव, मा0 मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

आज्ञा से,

Rnd.

(आर0एन0 द्विवेदी)

उप सचिव

Scanned by CamScanner

उत्तर प्रदेश शासन
अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग–3
संख्या–14/52–3–2016–2(170)/98
लखनऊ : दिनांक : 25 जनवरी, 2016

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम, 2004 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–29, सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल श्री मुमताज अहमद सिद्दीकी, 2/61, विजय खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ को उक्त अधिनियम की धारा–3(3) की उपधारा (क) के अधीन लखनऊ में स्थापित उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में नाम निर्दिष्ट करते हैं।

श्रीप्रकाश सिंह
सचिव।

संख्या–14 (1)/52–3–16 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
2– प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
3– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
4– समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5– निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0, लखनऊ।
6– रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, लखनऊ।
7– समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।
8– श्री मुमताज अहमद सिद्दीकी, 2/61, विजय खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
9– संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को दिनांक 25 जनवरी, 2016 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग–4 खण्ड ख में प्रकाशित कराने का कष्ट करें और मुद्रित अधिसूचना की 300 प्रतियॉ इस अनुभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10– निजी सचिव, मा0 मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
11– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश पाण्डेय)
विशेष कार्याधिकारी

Scanned by CamScanner